

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.12.19 पत्रावली पेश हुई।	<p>उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा में विचारणीय अपील पर वास्तव में मूल अपील रद्द करके 09 R4 CDC न्यायालय द्वारा के आदेश दिनांक 26.11.19 द्वारा स्वीकार कर लिया दिनांक 18.07.2014 को अपील किया गया।</p> <p>कित: उक्त प्रकरण अपील पर आस्थापित विधेयता पुनः जिला अदालत, जालंधर से अपील पर अपील को विचारित/संश्लेषण 19/1473 दिनांक 21/12/19 के आदेश पर हुकम। उक्त अपील पर पुनः पुनः अपील रद्द होकर प्रकरण को विधिक पुनर्वा हेतु नोटिस जारी है। दिनांक 24.12.19 को फ. है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक जज, जसवंतपुरा जिला-जालंधर (सि.)</p>
24.12.19 पत्रावली पेश हुई।	<p>आपने आदिशना को ध्यान में रखकर नोटिस लक्षणा काका फ. को। दिनांक 21.01.2020 को फ. है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक जज, जसवंतपुरा जिला-जालंधर (सि.)</p>
21.01.20 पत्रावली पेश हुई।	<p>वापसी आदिशना के निवेदन के फलस्वरूप अपील पर वास्तव में पत्रावली की आदेशिका के पुनः विचारित होने मात्र हुआ कि अपीलिंग की</p> <p style="text-align: right;">सहायक जज, जसवंतपुरा जिला-जालंधर (सि.)</p>

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>विधिवत तामील की जा चुकी है/अतः प्रथम पत्र रेस्टोर्ट स्वीकार होने के पश्चात अधिकाधिक को तलब को मोहित जारी करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>द्वितीय पत्रावली कहल डेस्टा परलंबे समय से लंबित है, अतः सकुशल कहल सुनी गई। दौरेन कहल प्रार्थी अधिवक्ता को बताया कि प्रार्थी को खातेदारी में दर्ज रास्ता अर्थात् सिं. 116 रकबा 19 बिस्वा पा, जो बिनाप से तलमंत के नवीन अंतरा सिं. 224, 267 में जो राजकीय शक्ति में दर्ज में रास्ता है, में विभक्त कर दिया गया। अतः अन्य लोग डफ्तोर में लैड प्रार्थी के सिपी खातेदारी के रास्ते को अपसोहित कर रहे है, जिनसे प्रार्थी को अप्रशील क्षति हो सकती है।</p> <p>कहल परमन व फावली में तलमंत के दलालों के सहयम डे पश्चात माथल प्रार्थी डे फा में प्रपल हक्या पाया गया। अतः अतः अधिकाधिक को गूलपाद के विस्तार तक आयाची निवेदासाले इन कदम फावद किया जाता है सि गल मयस सं. 116 रकबा 19 बिस्वा जो प्रार्थी के सिपी खातेदारी में जो माफा मोदर</p>	

सहायक कलेक्टर
जसवन्तपुरा (जालोर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	<p> का शिक्का (अनुसूचित जाति सं. १६ को निर्दिष्ट क्षेत्रों में है परन्तु नवीन अनुसूचित जाति प्रमाण है), उसे मीठे की चयापचय बनाने से। </p> <p> - प्रावर्ती के लिये ^{शुद्ध} होस्ट नंबर से कहे के मूल वाद के लिये नली हो। </p>

सहायक न्यायक
 जसवन्तपुरा (जालौर)

